



गुरुकुल महिला महाविद्यालय

उत्तीसगढ़ शासन तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबन्ध

गुरुकुल परिसर, कालीबाड़ी रोड, रायपुर (उ.ग.) ई-मेल : info@gurukulraipur.com

संचालित भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति, गांधी चौक, रायपुर (उत्तीसगढ़) पंजीयन क्रं. 16/51-52

2.1.2 Number of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy during the year (exclusive of supernumerary seats))

Year 2022-23

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule						Number of students admitted from the reserved category				
SC (12%)	ST (32%)	OBC (14%)	Gen (34%)	Div (5%)	Others (3%)	SC	ST	OBC	Gen	Others
56	150	66	160	24	14	41	13	189	103	0

2.1.2.1 Number of actual students admitted from the reserved categories during the Year

Sr. No	NAME OF STUDENT	CATEGORY	UNI ENR.	DATE OF ENR.
1	PRITI ADHIKARI	GEN	AH/13309	6/27/2022
2	SWALIA PARVEEN	GEN	AH/13352	6/28/2022
3	TASHNIF JAHAN	GEN	AH/13361	6/30/2022
4	SIMARAN PANDEY	GEN	AH/13339	7/1/2022
5	REKHA PRAJAPATI	OBC	AH/13317	7/4/2022
6	PRACHI PANDEY	GEN	AH/13302	7/4/2022
7	TRIPTI SWAMI	GEN	AH/13363	7/4/2022
8	PAYAL JAGAT	GEN	AH/13299	7/5/2022
9	JANVI YADAV	OBC	AH/13259	7/6/2022
10	KRITI VAISH	SC	AH/13272	7/7/2022
11	LALITA SAHU	OBC	AH/13275	7/7/2022
12	BHAWNA NISHAD	OBC	AH/13234	7/9/2022
13	HEMA SAHU	OBC	AH/13251	7/9/2022
14	TANIYA SAHU	OBC	AH/13357	7/12/2022
15	MADINA BHATI	GEN	AH/13283	7/12/2022
16	TRIPTI SAHU	OBC	AH/13362	7/12/2022
17	HEMLATA SAHU	OBC	AH/13252	7/12/2022
18	CHANDNI SAHU	OBC	AH/13235	7/13/2022
19	PRERNA SHARMA	GEN	AH/13308	7/16/2022
20	CHHAYA SAHU	OBC	NA	7/18/2022
21	SAFKAT KHAN	GEN	AH/13329	7/18/2022

22	DOLLY THADWANI	GEN	AH/13243	7/19/2022
23	VIBHA KARAYAT	SC	AH/13368	7/19/2022
24	GOURI LAHARE	SC	AH/13248	7/19/2022
25	ISHA SMRITI SIDAR	ST	AH/13257	7/19/2022
26	RITIKA YADAV	OBC	AH/13321	7/25/2022
27	KHUSHBOO BENEVA	SC	AH/13267	7/25/2022
28	GARGI AGRAWAL	GEN	AH/13246	7/26/2022
29	MUSKAN PARIHAR	GEN	AH/13288	7/29/2022
30	DIVYA JAISWAL	GEN	AH/13241	7/30/2022
31	DURGA TANDAN	SC	NA	8/1/2022
32	JIYA MOTWANI	GEN	AH/13261	8/2/2022
33	RENU KUMARI	OBC	AH/13318	8/2/2022
34	RASHMI SINGH	GEN	AH/13316	8/3/2022
35	SHUBHANGI WANDRE	GEN	AH/13338	8/4/2022
36	KHUSHNASHIN KHATOON	GEN	AH/13269	8/4/2022
37	KHILESHWARI	OBC	AH/13266	8/5/2022
38	MEGHA SONKAR	OBC	AH/13287	8/6/2022
39	SHRUTI PIMPALKAR	GEN	AH/13337	8/6/2022
40	GAURI SAHU	OBC	AH/13247	8/6/2022
41	PRAGATI SHARMA	GEN	AH/13303	8/8/2022
42	SNEHA SHARMA	GEN	AH/13343	8/8/2022
43	SIMRAN KAUR	OBC	AH/13341	8/10/2022
44	SIMRAN BAGARTI	OBC	AH/13340	8/10/2022
45	SHALINI GAUTAM	GEN	AH/13332	8/10/2022
46	SHEETAL SIDAR	ST	AH/13335	8/10/2022
47	RUKSHAR KHAN	GEN	AH/13327	8/12/2022
48	KHUSHBOO SAHU	OBC	AH/13268	8/13/2022
49	SHALINI YADAV	OBC	AH/13333	8/13/2022
50	KAMNA NIRMALKAR	OBC	AH/13265	8/13/2022
51	YAMINI PATEL	OBC	AH/13369	8/13/2022
52	VANDANA PATEL	OBC	AH/13366	8/13/2022
53	NIKAHAT DEVENDYA	OBC	AH/13295	8/13/2022
54	PRATISHTHA BHAGAT	GEN	AH/13304	8/13/2022
55	MANSI SHRIWAS	OBC	AH/13286	8/13/2022
56	MUSKAN PATEL	OBC	AH/13289	8/13/2022
57	SHEETAL SAHU	OBC	AH/13334	8/16/2022
58	ANSHU DATTA	GEN	NA	8/16/2022
59	RUCHI YADAV	OBC	AH/13326	8/16/2022
60	HARSHITA VISHWAKARMA	OBC	AH/13250	8/16/2022
61	DISHA SABASTIAN	GEN	NA	8/16/2022
62	TARNI YADAV	OBC	AH/13360	8/16/2022
63	AYUSHI CHANDRAWANSHI	OBC	AH/13231	8/16/2022

64	SOUMYA MISHRA	GEN	AH/13346	8/16/2022
65	LATIKA GAWALA	OBC	AH/13276	8/16/2022
66	SUJATA NISHAD	OBC	AH/13349	8/16/2022
67	SUNANDA NISHAD	OBC	AH/13350	8/16/2022
68	SNEHA KHARE	GEN	AH/13342	8/16/2022
69	ANJALI PATEL	OBC	NA	8/16/2022
70	SRISHTI SAHU	OBC	AH/13347	8/16/2022
71	ANSHUL MUNESHWAR	GEN	AH/13229	8/16/2022
72	POONAM DEWANGAN	OBC	AH/13301	8/16/2022
73	KOMOLIKA YADAV	OBC	AH/13271	8/17/2022
74	PRIYANKA DEWANGAN	OBC	AH/13311	8/17/2022
75	YUGESHWARI DEWANGAN	OBC	AH/13372	8/17/2022
76	RIMJHIM SEN	OBC	AH/12744	8/17/2022
77	PURVI	GEN	AH/13312	8/18/2022
78	OJ SHARMA	GEN	NA	8/18/2022
79	JYOTI NARWANI	GEN	AH/13262	8/18/2022
80	DIPTEE BHOWMIK	GEN	AH/13240	8/18/2022
81	POOJA DEWANGAN	OBC	AH/13300	8/20/2022
82	KUSUM JAL	SC	AH/13273	8/20/2022
83	FAIZALA FATIMA	GEN	AH/13245	8/20/2022
84	LAXMI SAHU	OBC	AH/13279	8/22/2022
85	RANU SAHU	OBC	AH/13315	8/22/2022
86	SHRISTI MANDHANI	GEN	AH/13336	8/22/2022
87	LAXMI SAHU	OBC	AH/13280	8/23/2022
88	RISHIKA DEWANGAN	OBC	AH/13319	8/23/2022
89	RIYA PANSARI	OBC	AH/13323	8/23/2022
90	S PREETI RAO	GEN	AH/13328	8/23/2022
91	DIVYA SONI	OBC	AH/13242	8/23/2022
92	SAKSHI SAHU	OBC	AH/13331	8/23/2022
93	TANISHA BAGH	ST	AH/13356	8/23/2022
94	HONEY MAHANAND	SC	AH/13254	8/25/2022
95	VARTIKA YADU	OBC	AH/13367	8/25/2022
96	DAMINI	OBC	AH/13238	8/25/2022
97	SUSHMITA BHARGAV	OBC	AH/13351	8/25/2022
98	MANJULA BAIS	OBC	AH/13284	8/26/2022
99	ISHA SAHU	OBC	AH/13255	8/27/2022
100	SWATI PATEL	OBC	AH/13353	8/27/2022
101	PREETI CHELAK	SC	AH/13305	8/29/2022
102	ISHA SHEEL	GEN	AH/13256	8/29/2022
103	YESHA SAHU	OBC	AH/13370	6/28/2022
104	RUCHI CHHURA	SC	AH/13325	7/1/2022
105	PREETI SINGH	GEN	AH/13307	7/1/2022

106	MANSI SHARMA	GEN	AH/13285	7/5/2022
107	PREETI DEWANGAN	OBC	AH/13306	7/5/2022
108	BHUMIKA SINGH	GEN	NA	7/6/2022
109	SONAM TANDI	SC	AH/13344	7/11/2022
110	BHAVNA GAJWANI	GEN	AH/13233	7/14/2022
111	LAGIMA GAJBHIYE	GEN	AH/13274	7/14/2022
112	TAMANNA PARWIN	GEN	AH/13355	7/18/2022
113	ANJALI GUPTA	GEN	AH/13227	7/19/2022
114	AKANKSHA DEWANGAN	OBC	AH/13224	7/30/2022
115	SUHANI PANDEY	GEN	AH/13348	7/30/2022
116	KAJAL UPRADE	OBC	AH/13264	8/1/2022
117	NAZMA KHATUN	GEN	AH/13293	8/1/2022
118	KOMAL CHANDRIKAPURE	SC	AH/13270	8/3/2022
119	CHANDNI SAHU	OBC	AH/13236	8/3/2022
120	LEENA SAHU	OBC	AH/13281	8/3/2022
121	MADHU JUMANI	GEN	AH/13282	8/3/2022
122	NIKITA DHRITLAHRE	SC	AH/13296	8/4/2022
123	RAGINI VERMA	OBC	AH/13313	8/4/2022
124	JANHAVI	OBC	AH/13258	8/4/2022
125	NEELAM VISHWAKARMA	OBC	AH/13294	8/5/2022
126	NISHIKA SHARMA	GEN	AH/13297	8/6/2022
127	TANU YADAV	OBC	AH/13359	8/12/2022
128	SAKSHI DEWANGAN	OBC	AH/13330	8/16/2022
129	SONU SAHU	OBC	AH/13345	8/16/2022
130	LAXMI DEWANGAN	OBC	AH/13278	8/16/2022
131	ANISHA SAGAR	SC	AH/13226	8/16/2022
132	SWATI YADAV	OBC	AH/13354	8/17/2022
133	TANNU RATRE	SC	AH/13358	8/17/2022
134	NAMRATA MISHRA	GEN	AH/13290	8/17/2022
135	UROOJ HUDA SIDDIQUI	GEN	AH/13365	8/18/2022
136	KAJAL SARTHI	SC	AH/13263	8/20/2022
137	YOGITA SAHU	OBC	AH/13371	8/20/2022
138	ANNU SAHU	OBC	AH/13228	8/20/2022
139	DIKSHA SONKAR	OBC	AH/13239	8/22/2022
140	RITIKA KADE	GEN	AH/13320	8/22/2022
141	ROSHNI SAHU	OBC	AH/13324	8/22/2022
142	AYUSHI PANDEY	GEN	AH/13232	8/25/2022
143	NITYA NIRMALKAR	OBC	AH/13298	8/25/2022
144	RAJLAXMI SONI	SC	AH/13314	8/25/2022
145	JITESHWARI SAHU	OBC	AH/13260	8/26/2022
146	RIYA DEY	GEN	AH/13322	8/27/2022
147	HIMANSHI SAHU	OBC	AH/13253	8/17/2022

148	HANSHNI NAYAK	ST	AH/13249	9/1/2022
149	NAUSHEEN FATIMA	GEN	AH/13292	9/5/2022
150	NANDANI SAHU	OBC	AH/13291	9/6/2022
151	TULJA LAXMI SAHU	OBC	AH/13364	9/10/2022
152	PRIYA SAHU	GEN	AH/13310	9/12/2022
153	ARPITA PATEL	GEN	NA	9/14/2022
154	LAXMI CHOUHAN	GEN	AH/13277	9/17/2022
155	AMENA AYESHA	GEN	AH/13225	9/27/2022
156	LUBNA FATIMA	GEN	AH/13466	7/6/2022
157	MUKTA VERMA	OBC	AH/13471	7/11/2022
158	NANDINI PARSHAD	SC	AH/13474	7/12/2022
159	SANDHYA SAHU	OBC	AH/13500	7/12/2022
160	PARUL JAGAT	ST	AH/13476	7/16/2022
161	TANUSHA VAIRAGADE	OBC	AH/13508	7/23/2022
162	KUSUMLATA	OBC	AH/13465	7/26/2022
163	ANJALI PATEL	OBC	AH/13436	8/1/2022
164	BHARTI NAYAK	OBC	AH/13440	8/1/2022
165	HIMANI NISHAD	OBC	AH/13453	8/1/2022
166	KHUSHBOO YADAV	OBC	AH/13461	8/2/2022
167	PAYAL RAJAK	OBC	AH/13477	8/2/2022
168	RENU SAHU	OBC	AH/13491	8/2/2022
169	HARSHITA PANDEY	GEN	AH/13451	8/3/2022
170	VAISHNAVI MANIKPURI	OBC	AH/13512	8/3/2022
171	KHUSHBU NAG	SC	AH/13462	8/4/2022
172	TARIKA BISEN	ST	AH/13510	8/5/2022
173	YOGITA SAHU	OBC	AH/13515	8/5/2022
174	MAHAK VERMA	OBC	AH/13467	8/5/2022
175	JAYA BANJARE	SC	AH/13457	8/6/2022
176	DEEPAL DEWANGAN	OBC	AH/13444	8/6/2022
177	ANJALI THOOL	SC	AH/13437	8/6/2022
178	KHUSHI GUPTA	GEN	AH/13463	8/8/2022
179	AISHWARYA YADAV	OBC	AH/13435	8/8/2022
180	HEENA SAHU	OBC	AH/13452	8/8/2022
181	POOJA YADAV	OBC	AH/13480	8/8/2022
182	SUMAN VERMA	OBC	AH/13507	8/10/2022
183	RUPA CHOUDHARY	OBC	AH/13493	8/10/2022
184	JAYA	OBC	AH/13456	8/10/2022
185	SANJANA YADAV	OBC	AH/13501	8/10/2022
186	ANSHIKA KARMAKAR	GEN	AH/13438	8/10/2022
187	SADHNA XALXO	ST	AH/13494	8/12/2022
188	POOJA MAHESHWARI	SC	AH/13479	8/12/2022
189	SAKSHI SAHU	OBC	AH/13498	8/12/2022

190	PRACHI MIRJHA	SC	AH/13481	8/12/2022
191	KARISHMA BHARTI	SC	AH/13459	8/12/2022
192	RADHIKA SONWANI	SC	AH/13489	8/12/2022
193	DHARNI BAIS	OBC	AH/13446	8/13/2022
194	DIVYA DEWANGAN	OBC	AH/13447	8/13/2022
195	GEETA MANIKPURI	OBC	AH/13450	8/13/2022
196	DEEPIKA NAYAK	OBC	AH/13445	8/13/2022
197	BHOOMIKA SAHU	OBC	AH/13441	8/13/2022
198	SHILPI PADHI	GEN	AH/13503	8/16/2022
199	MEGHA SAHU	OBC	AH/13470	8/16/2022
200	TANYA SAHU	OBC	AH/13509	8/20/2022
201	MANISHA BAGHEL	OBC	AH/13469	8/22/2022
202	RUCHI SAHU	OBC	AH/13492	8/23/2022
203	SAKSHI DEWANGAN	OBC	NA	7/22/2022
204	PRIYANKA	OBC	AH/13485	7/26/2022
205	VINITA VERMA	OBC	AH/13514	7/27/2022
206	TEJESHVINI SAHU	OBC	AH/13511	8/1/2022
207	AISHWARYA BAIS	OBC	AH/13434	8/2/2022
208	BARKHA SIKKA	GEN	AH/13439	8/4/2022
209	CHANCHAL	OBC	AH/13443	8/5/2022
210	SRISHTI PATEL	OBC	AH/13506	8/6/2022
211	MUSKAN SAHU	OBC	AH/13473	8/10/2022
212	ISHA VERMA	OBC	AH/13455	8/10/2022
213	KANISHKA SHRIWAS	OBC	NA	8/12/2022
214	JYOTI TIWARI	GEN	AH/13458	8/13/2022
215	KIRAN CHOUDHARY	OBC	AH/13464	8/13/2022
216	PRIYANKA SAHU	OBC	AH/13487	8/16/2022
217	SAVITRI DIWAN	ST	AH/13502	8/16/2022
218	HIMANSHI SAHU	OBC	AH/13454	8/17/2022
219	PRATIMA SAHU	OBC	AH/13483	8/20/2022
220	PRATIBHA SAHU	OBC	AH/13482	8/20/2022
221	VARSHA PATEL	OBC	AH/13513	8/22/2022
222	SHREYA MONDAL	GEN	AH/13504	8/26/2022
223	PRIYANKA KOSARIYA	SC	AH/13486	8/27/2022
224	PRIYA DIWAN	SC	AH/13484	9/27/2022
225	DIVYA DEWANGAN	OBC	AH/13448	7/9/2022
226	KHUSHBOO BANJARE	SC	AH/13460	8/1/2022
227	ZOYA SHABNAM	GEN	AH/13516	8/1/2022
228	MANCHAL SAHU	OBC	NA	8/5/2022
229	RENU MARKANDE	SC	AH/13490	8/10/2022
230	SAKSHI PATLE	OBC	AH/13497	8/12/2022
231	POOJA KASHYAP	OBC	AH/13478	8/12/2022

232	SAIMA NISHA	GEN	AH/13495	8/13/2022
233	SALVAM LAXMI	ST	NA	8/13/2022
234	BHUMI BAIS	OBC	AH/13442	8/16/2022
235	RADHIKA NAISHAD	OBC	AH/13488	8/20/2022
236	PRATIKSHA SHINDE	GEN	AH/13562	6/27/2022
237	KAREENA DARYANI	GEN	AH/13555	6/27/2022
238	PRIYANSHI KARMAKAR	GEN	AH/13563	7/12/2022
239	MONIKA PATEL	OBC	AH/13558	7/15/2022
240	PURVA SHUKLA	GEN	AH/13564	7/21/2022
241	ROSHANI	OBC	AH/13566	7/21/2022
242	TANU NAYAK	OBC	AH/13569	7/29/2022
243	JAGRITI SAHU	OBC	AH/13554	8/2/2022
244	NISHA SAHU	OBC	AH/13560	8/3/2022
245	KHUSHBOO SAHU	OBC	AH/13556	8/4/2022
246	ROSHNI CHAKRABORTY	GEN	NA	8/5/2022
247	BHUMIKA SAHU	OBC	AH/13552	8/10/2022
248	AMRITA PAIGAMBAR	SC	AH/13550	8/13/2022
249	ONISHA DEWANGAN	OBC	NA	8/13/2022
250	RIYA MISHRA	GEN	AH/13565	8/17/2022
251	GAYATRI BARLE	SC	AH/13553	8/22/2022
252	ARPITA GHOSH	GEN	AH/13551	8/22/2022
253	VANDANA MAHANAND	SC	AH/13571	8/25/2022
254	SUSHMA JANGHEL	OBC	AH/13568	8/25/2022
255	MANSHI TIKARIHA	OBC	AH/13557	8/26/2022
256	AKSHA MIRZA	OBC	AH/13548	8/26/2022
257	NEHA KUMARI	GEN	AH/13559	9/5/2022
258	ALFIYA PARVEEN	OBC	AH/13549	9/27/2022
259	TANYA DEVDAS	SC	AH/13570	9/29/2022
260	NIKITA VERMA	OBC	AE/11399	7/5/2022
261	DIPTI GAIKWAD	SC	AE/11337	7/8/2022
262	VERSHA VERMA	OBC	AC/04157	7/9/2022
263	JAGESHWARI SAHU	OBC	AE/11348	7/13/2022
264	RITU SAHU	OBC	AF/20338	7/13/2022
265	PRIYA SHUKLA	GEN	YY/76748	7/18/2022
266	KSHIPRA SINGH	GEN	AG/38775	7/18/2022
267	SHEEL BORKAR	SC	AE/11454	7/19/2022
268	SAYARA SHEIKH	GEN	AC/20175	7/19/2022
269	PRERNA VERMA	OBC	AE/11421	7/19/2022
270	PRIYA PATEL	OBC	AE/11424	7/19/2022
271	AARTI VERMA	OBC	AC/07715	7/19/2022
272	KAVITA SAHU	OBC	AE/11361	7/20/2022
273	RESHMA BHOI	ST	AE/10727	7/21/2022

274	DAMINI MALIK	OBC	AE/33017	7/23/2022
275	GAUTAMI CHINTAL	SC	AE/10638	7/30/2022
276	VAISHNAVI VISHWAKARMA	OBC	AE/11482	8/3/2022
277	MAMTA	OBC	AE/11372	8/4/2022
278	MONIKA SAINI	OBC	AE/11382	8/5/2022
279	BHARTI YADAV	OBC	AE/11326	8/6/2022
280	PRABHA VISHWKARMA	OBC	AD/07293	8/6/2022
281	PREETI NIRMALKAR	OBC	AC/22691	8/10/2022
282	PRITI SINGH	GEN	NA	8/16/2022
283	LUBNA PARVEEN	GEN	AE/11370	8/16/2022
284	CHARU SHARMA	GEN	AH/13220	8/22/2022
285	GEETIKA SHARMA	GEN	AH/13221	8/22/2022
286	PRIYANKA SHARMA	OBC	AH/13223	9/14/2022
287	LIPIKA CHOUDHARY	GEN	NA	7/2/2022
288	SANGEETA	OBC	AC/34093	7/4/2022
289	SONALY BAIS	OBC	AB/34568	7/5/2022
290	BABLI TANDI	SC	YY/62806	7/8/2022
291	MAHESHWARI RAJPUT	GEN	AH/13214	7/11/2022
292	GOMTI PATEL	OBC	AD/006695	7/15/2022
293	RANU	OBC	AH/13218	7/16/2022
294	POOJA SAHU	OBC	AB/21946	7/18/2022
295	BHAVNA YADAV	OBC	AC/09096	7/18/2022
296	RESHMA SAHU	OBC	AC/08191	7/18/2022
297	ANAMIKA CHAUBEY	GEN	AB/21880	7/18/2022
298	BHUMIKA SAHU	OBC	AG/38758	7/20/2022
299	SEEMA SAHU	OBC	AE/11450	7/25/2022
300	CHAMELI	OBC	AD/00568	7/26/2022
301	ANURADHA	SC	AD/00549	7/26/2022
302	JHARNA BHOI	OBC	AE/33585	7/26/2022
303	VANSHIKA AGRAWAL	GEN	AE/02416	7/26/2022
304	BHAVNA THAKUR	GEN	AE/08890	7/27/2022
305	GUDLEEN DEY	GEN	AH/13210	7/27/2022
306	DIKSHA LOKHANDE	SC	ZZ/35168	7/27/2022
307	TANISHA BOYAR	OBC	AD/54422	7/29/2022
308	AAKANKSHA PANDEY	GEN	AE/11490	7/30/2022
309	PINKY KUMAHAR	OBC	AC/10252	7/30/2022
310	MUSKAN SIDDIQUI	GEN	AH/13218	7/30/2022
311	SIDDHI SONI	OBC	AE/02422	7/30/2022
312	ANUPA BHOI	OBC	AF/20330	8/1/2022
313	NEETU GUMASTA	OBC	AC/14037	8/1/2022
314	LEENA SAHU	OBC	VV/28283	7/30/2022

315	SURBHI PANDEY	GEN	WW/41973	8/1/2022
316	PRAGATI SWAI MARKAM	ST	AH/13217	8/1/2022
317	MEGHA TIWARI	GEN	AH/13217	8/1/2022
318	TRIPTI YADAV	OBC	AD/07348	8/1/2022
319	TARA CHHATRI	GEN	AC/12955	8/1/2022
320	OSHIN SAHU	OBC	AE/11406	8/2/2022
321	SIDDHI GOSWAMI	GEN	AG/38800	8/2/2022
322	KARISHMA	SC	AH/13212	8/2/2022
323	LEELA CHATURVEDI	SC	AG/38776	8/2/2022
324	ANJALI DHRUW	ST	AE/10603	8/3/2022
325	PRIYANKA TIWARI	GEN	AE/11426	8/3/2022
326	PRACHI SAHU	OBC	AC/19511	8/4/2022
327	SHWETA VERMA	OBC	AE/02402	8/4/2022
328	INDU VERMA	OBC	AE/10645	8/6/2022
329	LAXMI	OBC	AG/38081	8/8/2022
330	TEENA SAHU	OBC	AE/08042	8/8/2022
331	FARHA NAAZ	GEN	AD/04090	8/8/2022
332	TOMIN	OBC	AH/13219	8/8/2022
333	AARTI GOSWAMI	GEN	AE/11305	8/10/2022
334	VIDYA SAHU	OBC	AE/11484	8/10/2022
335	LALITA VAISHNAV	OBC	AE/11368	8/10/2022
336	LAKESHWARI NISHAD	OBC	AE/15737	8/10/2022
337	MANJU SAHU	OBC	AH/13215	8/10/2022
338	JAYSHRI	ST	AH/13211	8/12/2022
339	PRITI	SC	AD/02561	8/12/2022
340	SALONI SINGH	GEN	AE/11444	8/13/2022
341	SOUMYA PANDEY	GEN	AC/15881	8/13/2022
342	KHEMLATA SAHU	OBC	AE/10337	8/13/2022
343	PRIYANKA KEWAT	OBC	AE/11425	8/13/2022
344	MEGHA NAIR	GEN	AC/19511	8/13/2022
345	SHAIRAL MANSOORI	GEN	AC/04097	8/13/2022
346	SHABA NAAZ	GEN	AE/10453	8/16/2022

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2935/760/आउशि/सम./2022

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक...07/06/2022

प्रति

1. कूलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।

संदर्भ :- अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।


---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022-23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


7.6.2022

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय


नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022

पृ.क्रमांक 2936/760/आउशि/सम/2021

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।


7.6.2022

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

३०१५

२५२

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए
सत्र 2022-23
हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

- 1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

[Signature]

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

टल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।


Signature

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

एटल नगर, संघीय प्रवेश मार्गदर्शिका 2022-23

3. सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
4. **प्रवेश सूची :-**
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में **26 अगस्त** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।


अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-


- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(ख) स्नातकोत्तर **प्रथम वर्ष उत्तीर्ण** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी

आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

Deban
अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।


- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगाभी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल


अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

Signature
अनुभाग अधिकारी
 उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
 अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)
 FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अधिकारी

12.4

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

- 2.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
- (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ 05 प्रतिशत
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
FINAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2022-23

वाले विद्यार्थी को

- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत


अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/

10 प्रतिशत

- कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-
- छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/सपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- 14 संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।


अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

5 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Signature

अनुभाग अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)